न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 234 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. कालूराम पुत्र कबीराराम निवासी– ग्राम मोखेरी हाल–होपारडी, तहसील फलौदी, जोधपुर।		1. मिनजीराम पुत्र मनसुखराम 2. मगाराम पुत्र गुलाबाराम 3. ठाकर पुत्र सालगराम 4. बगताराम पुत्र मगाराम 5. जानकराम पुत्र मगाराम 6. जगदीश पुत्र मिनजीराम 7. चुतराराम पुत्र मिनजीराम 8. खुबाराम पुत्र मिनजीराम 9. पन्नाराम पुत्र मिनजीराम निवासी–होपारडी,तहसील–फलौदी, 10. जे. पी. पालीवाल पटवारी, होपारडी 11. रामलाल भू. अ .निरीक्षक, फलौदी 12. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार फलौदी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2021 जो प्रकरण संख्या 26 / 2020 अनवान मिनजीराम बनाम तहसीलदार फलौदी में पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2021 जो प्रकरण संख्या 26 / 2020 अनवान मिनजीराम बनाम तहसीलदार फलौदी में पारित किये गये है, के विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना

पत्र यह अंकित करते हुए पेश किया कि उनकी खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 171/1 रकबा 35.13 बीघा ग्राम होपारडी में आई हुई है। उक्त भूमि की पैमाइश व सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार फलौदी से दिनांक 23.06.2019 को पैमाइश करवाकर सीमाज्ञान करवाया गया जिसके आधार पर वो पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, फलौदी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 23.6.19 की पैमाइश फर्द अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये है, जिससे अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त खसरा नं. 171 मूल रूप से 107 बीघा है तथा 107 बीघा भूमि में खातेदारान मनसुख पुत्र किसनीराम 1/3 हिस्सा, गुलाबाराम पुत्र किसनीराम का 1/3 हिस्सा, कबीराराम पुत्र किसनीराम का 1/3 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज है। दिनांक 23.06.2019 की मौका पैमाइश जो कि सभी पक्षकारान/खातेदारान की बिना उपस्थिति में तथा उन्हें बिना नोटिस दिये ही बनाई गई थी, में पटवारी हल्का के द्वारा जमाबन्दी में तथा नक्शे में 10 बीघा का अंतर बताया था, तत्पश्चात उक्त भूमि का बंटवाडा किया गया जिसमें अपीलान्ट कालूराम के हिस्से में ख0सं0 171/2 रकबा 5.7789 हैक्टर भूमि आई तथा रेस्पो0संख्या 1 के 171/1 रकबा 5.7708 हैक्टर भूमि आई। परन्तु रेस्पो0 संख्या एक ने अन्य सहखातेदार को जानबूझकर उपरोक्त कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया और मौका पैमाइश रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश जारी करवा लिया जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया कि किस खातेदार ने खसरा भूमि पर अतिक्रमण किया है जिससे सीमाज्ञान, पैमाइश और पत्थरगढी की कार्यवाही की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक द्वारा अपने आवेदन में मात्र 171/1 के सम्बन्ध में पत्थरगढी करने हेतु आवेदन किया था जबकि दिनांक 23.6.19 की पैमाइश रिपोर्ट में ही खसरान की रकबा भूमि में 10 बीघा भूमि का अन्तर बताया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जो आदेश दिया

गया है वह उपरोक्त आधारों पर त्रुटिपूर्ण एवं एकपक्षीय होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 29.11.2021 को हुई जब उक्त आदेश की पालना करवाने मौके पर आये। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.3.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः मैरिट पर सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

5. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा संख्या उक्त खसरा नं. 171 मूल रूप से 107 बीघा है तथा 107 बीघा भूमि में खातेदारान मनसुख पुत्र किसनीराम 1/3 हिस्सा, गुलाबाराम पुत्र किसनीराम का 1/3 हिस्सा, कबीराराम पुत्र किसनीराम का 1/3 हिस्सा खातेदार के रूप में दर्ज है। दिनांक 23.06.2019 की मौका पैमाइश जो कि सभी पक्षकारान/खातेदारान की बिना उपस्थिति में तथा उन्हें बिना नोटिस दिये ही बनाई गई थी, में पटवारी हल्का के द्वारा जमाबन्दी में तथा नक्शे में 10 बीघा का अंतर बताया था, तत्पश्चात उक्त भूमि का बंटवाडा किया गया जिसमें अपीलान्ट कालूराम के हिस्से में ख0सं0 171/2 रकबा 5.7789 हैक्टर भूमि आई तथा रेस्पो0संख्या 1 के 171/1 रकबा 5.7708 हैक्टर भूमि आई हुई होना बताया है। रेस्पो0 संख्या एक ने अपने खसरा संख्या 171/1 की रकबा भूमि बाबत पत्थरगढी करवाने हेतु किये गये आवेदन में मूल खसरा संख्या 171 के अन्य सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया तथा जिस पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसमें भी कुल रकबा भूमि में 10 बीघा भूमि की भिन्नता जमाबन्दी व नक्शे में दर्शाई गई है, उसके उपरान्त भी अपीलाधीन आदेश पाारित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से उठाये गये आपत्ति बिन्दुओं पर न्यायालय की विवेचना उपरान्त एवं न्यायालय के विनम्र मत में उपरोक्त आब्जर्वेशन के अनुसार प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, फलौदी को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, फलौदी को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में उल्लेखित रकबा भूमि के सभी खातेदारान/पक्षकारान को अपना–2 पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने तथा मौका फर्द को कन्सीडर करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता होती हो तो नये सिरे से 01 माह की अवधि में पुनः यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर